

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन न:0141-2228060-61, फैक्स न:0141-2228065 ई-मेल :edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website :rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/क.ओ./2025-26/

2017

दिनांक: 29.10.2025

अल्पकालिन ई-निविदा सूचना 04/2025

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन किराये पर लिये जाने हेतु

वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के 12 माह की अवधि के लिए

निगम द्वारा एक वर्ष अर्थात् 12 माह हेतु निगम मुख्यालय एवं जिला/मेडिकल औषधि भण्डार गृहों पर जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन किराये पर लिये जाने की सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से अल्पकालिन ई-निविदा निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ में)	ई-निविदा शुल्क (₹)	RISL प्रोसेसिंग फीस (₹)	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि एवं समय	प्रि-बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोलने की तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित ऑपरेटर सेवा कार्य आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन कुल संख्या 50	87.75 लाख	175500/-	2360.00 (with GST)	1770.00 (with GST)	29.10.2025 सांय 05.00 बजे	31.10.25 प्रातः 11.00 बजे	06.11.2025 सांय 05.00 बजे तक	06.11.2025 06.00 PM तक	07.11.2025 सांय 05.00 PM

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट "www.dipronline.org", sppp.rajasthan.gov.in एवं rmsc.health.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स फोरमेट में वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

ई-निविदा

ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा सूचना
वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के 12 माह की अवधि हेतु

निविदा क्रमांक :	एफ.30/आरएमएससी/भण्डार/क.ओ./2025-26/04 दिनांक: 29-10-2025
प्री-बिड मीटिंग की तिथि व समय	31.10.2025 प्रातः 11.00 बजे
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	06.11.2025 समय सांय 6.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क:	Rs. 2360.00 RMSCL, जयपुर के पक्ष में देय पक्ष में देय
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	Rs. 1770.00 (RISL, जयपुर के पक्ष में देय)
Bid Security	Rs. 175500.00 (RMSCL, जयपुर के पक्ष में देय)

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 03-04 में दिनांक 07.11.2025 समय दोपहर 3.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं:0141-2228060-61, फैक्स नं:0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :edf-rmsc-rj@nic.in

Website :rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.3()/आरएमएससी/भण्डार/क.ओ./2025-26/

दिनांक:

कार्य की अनुमानित लागत -: 87.75 लाख

बोली प्रतिभूति (bid security)-: 175500 /-

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

ऑनलाईन ई-निविदा जमा कराने

की अन्तिम तिथि-06.11.2025

समय 6.00 बजे तक

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क-: 2360.00

निगम मुख्यालय एवं जिला/मेडिकल औषधि भण्डार गृहों पर कुल 50 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीने किराये पर लिये जाने की दर संविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीने किराये पर लिये जाने के लिए ई-निविदा :-
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित एवं पेन नम्बर.....
.....
.....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर.....
.....
.....
.....
5. किसको संबोधित किया गया - प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
6. ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ 3()/आरएमएससी/भण्डार/क.ओ./2025-26/04
7. दिनांक
8. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में जॉब आधारित ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर किराये पर लिये जाने के कार्य संबंधी दरें अंकित है। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।
10. जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा इकाई एवं कम्प्यूटर मशीन की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार पत्र आदेश जारी किया जा सकता है।
11. जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

2026-27 के 12 माह की अवधि के लिए हैं जिसे आपूर्ति से पहले के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood

Designation: Executive Director

Finalised

Date: 2025.10.29 12:48:58 IST

Reason: Approved

12. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या दिनांक राशि भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।
13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र'स') संलग्न है।
14. पूर्व में समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र'द') संलग्न है।
15. ई-निविदा की विधिमान्यता की कालावधि तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से अधिकतम 150 दिन होगी।
16. तकनीकी निविदा में Responsive निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
17. वित्तीय निविदा में अगर एक से अधिक फर्म न्यूनतम दर (एक ही दर) वाली आने पर, जिस निविदादाता टर्न ऑवर अधिक होगा उसी को न्यूनतम दरदाता माना जाएगा।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं:0141-2228060-61,फैक्स नं:0141-2228065

ई-मेल :edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website :rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.3()/आरएमएससी/भण्डार/क.ओ./2025-26/

दिनांक::

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

निविदा की शर्तें:-

1. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम दो सरकारी विभागों/उपक्रमों में इस तरह का कार्यानुभव विगत 1 वर्ष का होना अनिवार्य है एवं उन विभागों/उपक्रमों का संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि फर्म द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों का EPF एवं ESIअंशदान समय पर जमा करा दिया गया है एवं फर्म उक्त राशि जमा कराने में डिफाल्टर नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2025 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।
2. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों एवं कम्प्यूटर को प्रबंध निदेशक, आरएमएससी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालय में स्थापित करना होगा एवं उनके द्वारा दिये जाने वाली सेवा/संबंधित कार्य करना होगा।
3. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगे, उन्हें राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांयः 6.00 बजे तक उपस्थित रहना होगा।
4. यदि सेवा-संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो प्रबंध निदेशक, आरएमएससी या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
6. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल-चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
7. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्था को ही किया जावेगा। भुगतान के संबंध में इस कार्यालय का सेवा व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।
8. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
9. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
10. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।
11. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

12. निविदादाता को प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर सेवाएँ जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
13. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है, तो लिखित में पूर्व सूचना देकर मरम्मत कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सिस्टम को 24 घण्टे में ठीक कराना होगा। यदि मरम्मत अधिक समय लगने की संभावना हो तो निविदादाता के द्वारा तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
14. यदि कम्प्यूटर सिस्टम विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में ठीक नहीं कराने पर 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
15. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

16. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

- a) निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) अथवा (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का औसत टर्न ओवर 58.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंस शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- b) बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में केन्द्र/राज्य/राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएँ/परियोजनाएँ/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम 25 कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मैनपावर एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा:-

क्र.सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मैनपावर का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मैनपावर की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

- c) आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पत्ता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एवं E-mail ID सहित होना अनिवार्य है।
- d) सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
- e) यदि कोई निविदादाता पूर्व के अनुबन्धों में EPF/ESI अंशदान जमा कराने में डिफाल्टर रहा है तो उसको तकनीकी रूप से अपात्र (Non-Responsive) माना जाएगा एवं उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

13. ऑपरेटर की आवश्यक क्वालिफिकेशन एवं कम्प्यूटर मशीन के आवश्यक स्पेसिफिकेशन:-

S.No.	Name of Services	Desire Qualification
1.	Computer Operator (Man Power)	The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.
2.	CPU Specification	Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4GB or higher, Hard disk 500GB or more, 19"Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports windows 10 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.
3.	Printer	Black and white laser printer with speed 15ppm or more.

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

14. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

15. ई-निविदा का खोला जाना

दिनांक 06.11.2025 को सांय: 6 बजे तक प्राप्त/Upload ई-निविदा प्रपत्रों की तकनीकी बिड दिनांक 07.11.2025 सांय: 5 बजे उपस्थिति ई-निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

16. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के पेटे घोषणा पत्र) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

MSME फर्मों को बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

17. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु सर्वे ग्राफ ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर मशीन की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

Signature valid
Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

18. ई-निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होंगे। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक ई-निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाए। एक बार ई-निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। अपूर्ण ई-निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। ई-निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation) एवं बिना बातचीत स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

19. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 में वर्णित ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर मशीन की संख्या अनुमानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रु 87.75 लाख है। निगम द्वारा स्रोत पर नियमानुसार करों की कटौती कर राशि का भुगतान किया जाएगा।

20. निविदा अनुबंध की अवधि

निविदा अनुबंध की अवधि अनुबंध की दिनांक से 12 माह के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

21. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् ऑपरेटर सेवाएँ एवं कम्प्यूटर मशीन की संख्या बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

22. भुगतान की शर्तें

मानदेय के संबंध में कई बार मौखिक शिकायतें बताई गई है कि आधा माह समाप्त हो जाने तक भी भुगतान नहीं हो पाया है। इस संबंध में प्राप्त निर्देशों की पालना में उपस्थिति गत माह की 21 तारीख से चालू माह की 20 तारीख तक के आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा 25 तारीख तक निगम कार्यालय में बिल प्रस्तुत कराया जाना अपेक्षित होगा, विलम्ब की स्थिति में सेवा प्रदाता से प्रतिदिन के हिसाब से राशि रु 500/- वसूल की जायेगी। ताकि आगामी 01 तारीख तक भुगतान कराने के प्रयास किये जा सकें।

निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

23. भुगतान की जिम्मेदारी

निगम द्वारा निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान किया जाएगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। ऑपरेटर सेवा इकाई को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान निविदादाता (सेवाप्रदाता) फर्म द्वारा किया जाएगा।

24. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

25. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

26. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

27. ई-निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 ई-निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

28. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

29. ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर मशीन की दरों को BOQ के अनुसार अनुमोदित मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरें एवं ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की दरें में वृद्धि की जाती है तो ऑपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा एवं कम्प्यूटर मशीन का प्रस्तुत दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

30. ऑपरेटर के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा कम्प्यूटर मशीन के यू.ए.आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व उपलब्ध करवाया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by K. S. Jaiswal
Reason: Approved
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST

31. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में कम्प्यूटर ऑपरेटरो को किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा यदि निविदादाता द्वारा निरन्तर 02 माह तक उक्त सूचना मासिक बिलों के साथ उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो फर्म को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है:-

S. No.	Name of Computer with Operator	UIN No.	Name of Office	Basic Salary	No. Of Present days	Total Salary Payable	Employee's Contribution			Net Amount Paid to Computer with Operator (7-10)	Employer's Contribution			Total (7+14)	Computer Rent	Agency Service Charges	Total (15+16+17)
							EPF	ESI	Total (8+9)		EPF	ESI	Total (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total																	
SGCT																	
CGST																	
Grand Total																	

32. वित्तीय बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार –बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड(क)और(ख)के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावीहोगी।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

- क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्तत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- ख) सूचना का ऐसा दुर्व्य पदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष कार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिन में उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं:-

(क) हित का विरोधत बघटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य अनैतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके अनैतिक कर्तव्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्यक्रियाकलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवा विनिधान के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कर्तव्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था में कोई भी पद नहीं लेता है।

के लिए उपायन संस्था के माध्यम से जारी किया गया है।
 Digitally signed by **Signature valid**
 Designation: **Executive Director**
 Finance
 Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
 Reason: Approved

- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उस में सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्ष कारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उन में से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

34. (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनी की विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण**—प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

- 1 अपील:—(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि में ऐसा अन्य अवधि जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में निर्दिष्ट है, विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में अपील दर्ज करे।

Signature valid

Digitally signed by RajKaj Ref No. 18519578
Designation: Executive Director
Finance

Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ होता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

35. अपील का प्रारूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र – 'श') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(1) अपील फाइल करने के लिए फीस – (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

36. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, –

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
37. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
38. स्थापित किए जाने सभी उपकरण निविदा में वर्णित शर्तों के अनुरूप होने चाहिए।
39. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिफल प्रथम बार सफल निविदादाता द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
40. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे अनुरूप कराया जाएगा।
41. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
42. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। निगम यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
43. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस निगम की नहीं होगी। अतः यदि निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
44. निविदादाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जाएगी।
45. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
46. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर द्वारा सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनल्टी लगाए जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर का होगा।
47. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बड़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की संविदा अवधि के लिए भुगतान किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

48. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने पर NEFT/RTGS से किया जाएगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जाएगा।
49. वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक ई-निविदादाता द्वारा ई-निविदा प्रपत्र के संलग्न एक्सल फोरमेट(BOQ) में ही प्रस्तुत की जाएगी।
50. केवल ई-निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' (BOQ) में ही अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रोफार्मा के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्मा में दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। प्रपत्र 'ब'(BOQ) में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्मा में अंकित कर दी गई है। इसमें कोई कांट छांट (Over writing) नहीं है।
51. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.

निगम मुख्यालय जयपुर पर ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर मशीन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :-

.....

.....

वित्तीय निविदा

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जोकि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान		कुलराशि (5+6+7)	कम्प्यूटर किरायाप्रतिमाह प्रतिइकाई	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज प्रति माह प्रतिइकाईराशि	GST दरप्रतिशत	कुलराशि (8+9+10+11)
		अनुमानित श्रमिकों की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति माह प्रति इकाई राशि	निविदादाता द्वारा प्रतिइकाई प्रतिमाह प्रस्तावितमजदूरी की राशि	EPF राशि रू	ESI राशि रू					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Computer Operator (higher skilled) and Computer Machine	50	9334								

- नोट :- 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र (BOQ) में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निर्धारित प्रपत्र (टक्क) के कॉलम संख्या 5 से 11 तक आवेदक द्वारा भरे जाने हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्सका विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ` लाखों में)
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

अथवा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ` लाखों में)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने मेनपावन सप्लाई कार्य/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है एवं आपूर्तित सेवा इकाईयों का EPF/ESI अंशदान संबंधित विभागों में हमारे द्वारा समय पर जमा कराया गया है। इसमें हम Defaulter नहीं है यदि उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही कर सकता है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulterका कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved

प्रपत्र 'र'

FORM NO. 1 [See rule 23 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... [First/Second Appellate Authority]

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (endose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place Date

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.10.29 12:48:58 IST
Reason: Approved